



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
email-jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट https://urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/2656355-7

क्रमांक/बैठक/2023/2139

दिनांक :: 31 मार्च, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 29 मार्च, 2023 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 24 फरवरी 2023 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक 24 फरवरी 2023 का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक 24 फरवरी 2023 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन करते हुए जारी कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: सेवानिवृत्त कार्मिकों की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---------|---|---|
| 01. | यह घोषणा की जाती है कि प्राधिकरण कार्मिकों के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त रिक्त हुए पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर लगाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। | एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती है। |

कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में प्राधिकरण में रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नलिखित सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएँ समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली गई हैं, जिनकी सेवा अवधि, आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त, प्राधिकरण के आदेश क्रमांक एफ-21/स्थापना/2023/1080-87 दिनांक 09.03.2023 के द्वारा आगामी 1 वर्ष के लिये बढ़ाई गई हैं जिसका कार्यकारी समिति में कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है :-

| क्र. सं. | सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम | पदनाम | आदेश क्रमांक | दिनांक | रिक्त पद के विरुद्ध | सेवा अवधि दिनांक तक बढ़ाई गई |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| 1. | श्री बाबुलाल डागी | सेवानिवृत्त भू.अ. निरीक्षक | 1080-87 | 09.03. 2023 | अमीन | 10.02.2024 अथवा प्राधिकरण की आवश्यकता तक, जो भी पहले हो। |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|--|
| 2. | श्री रमेश माथुर | सेवानिवृत्त सहा.प्रशा. अधिकारी | 1080-87 | 09.03. 2023 | वरिष्ठ सहायक | 08.02.2024 अथवा प्राधिकरण की आवश्यकता तक, जो भी पहले हो। |
|----|-----------------|--------------------------------------|---------|----------------|-----------------|--|

प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: श्री भंवर सिंह पंवार, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक की संविदा सेवा अवधि आगामी 1 वर्ष अथवा प्राधिकरण की आवश्यकता तक, जो भी पहले हो, बढ़वाने के संबंध में।

| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|----------|--|---|
| 01. | यह घोषणा की जाती है कि प्राधिकरण कार्मिकों के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त रिक्त हुए पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर लगाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं। | एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती है। |

कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में प्राधिकरण में रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नलिखित सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाएँ समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली गई हैं, जिनकी सेवा अवधि आगामी 1 वर्ष अथवा प्राधिकरण की आवश्यकता तक, जो भी पहले हो, सेवा अवधि बढ़वाने के क्रम में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं :-

| क्र. सं. | सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम | पदनाम | आदेश क्रमांक | दिनांक | रिक्त पद के विरुद्ध | सेवा अवधि समाप्ति तिथि |
|----------|----------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------------|
| 1. | श्री भंवर सिंह पंवार | सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक | 1494-1501 | 27.04.2022 | वरिष्ठ सहायक | 26.04.2023 |

प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार श्री भंवर सिंह पंवार, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक की सेवा अवधि आगामी 1 वर्ष अथवा प्राधिकरण की आवश्यकता तक अथवा रिक्त पद की उपलब्धता के रहने तक, जो भी पहले समाप्त होती हो, सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: श्री दयालसिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।



| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|----------|--|---|
| 01. | यह घोषणा की जाती है कि श्री दयालसिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक प्राधिकरण में दिनांक 02.07.2018 से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में। | एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती है। |

श्री दयालसिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक वर्ष 2018 से जोधपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। जोधपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार में 395 राजस्व ग्राम स्थित है। प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार काफी विस्तृत होने एवं प्राधिकरण के मूल कार्य में राजस्व सम्बन्धित प्रकरणों यथा भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90क के प्रकरणों व प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत स्व: प्रेरणा के तहत कृषि भूमियों पर बसी कॉलोनीयों का नियमन, बजट घोषणा के अन्तर्गत भूमि आवंटन, संस्थाओं/समाजों/सरकारी विभागों को भूमि आवंटन, प्राधिकरण की राजस्व वृद्धि हेतु योजनाओं हेतु भूमि चिन्हित करने, राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों हेतु भूमि अवाप्ति इत्यादि कार्य हेतु अनुभवी कार्मिक की आवश्यकता रहती है। श्री दयालसिंह प्राधिकरण में पूर्व में पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक/अमीन के पद पर कार्यरत रह चुके है, जिनकी लगातार सेवाएं प्राधिकरण के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

पूर्व में प्राधिकरण की मांग पर जिला कलक्टर जोधपुर की अभिशंषा पर प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग द्वारा श्री दयालसिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष पूर्ण होने पर 01 वर्ष निरन्तर रखी गई थी। जो दिनांक 30.06.2023 को पूर्ण हो रही है। प्राधिकरण की आवश्यकताओं को देखते हुए राजस्थान सेवा नियम के नियम 144(क) 7 के तहत प्रतिनियुक्ति अवधि में 05 वर्ष से अधिक की वृद्धि हेतु वित्त विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्राधिकरण हितों एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 एवं बजट घोषणाओं के अन्तर्गत भूमि आवंटन इत्यादि कार्य के महत्व को देखते हुए श्री दयालसिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 01/07/2023 से 01 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने हेतु विचारार्थ एवं निणयार्थ प्रस्तुत है।


निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार श्री दयालसिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 1 जुलाई, 2023 से एक वर्ष बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु प्रकरण वित्त विभाग को कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: श्री मोईनुद्दीन, सेवानिवृत्त निजी सहायक, कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर की प्राधिकरण में रिक्त निजी सहायक के पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पद सेवाएं लेने के सम्बन्ध में।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---------|--|---|
| 01. | यह घोषणा की जाती है कि प्राधिकरण निजी सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिकों को समेकित पारिश्रमिक पर लगाये जोन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। | एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती है। |

प्राधिकरण में निम्नलिखित सेवानिवृत्त कार्मिक को कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-17 (10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में,



प्राधिकरण में रिक्त निजी सहायक के पद के विरुद्ध निम्नलिखित कार्मिक की सेवाएं प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निणयार्थ प्रस्तुत है।

| क्र.स | सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम | सेवानिवृत्त पदनाम | सेवानिवृत्त तिथि | जन्म तिथि | रिक्त पद के विरुद्ध |
|-------|----------------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|
| 01. | श्री मोईनुद्दीन | निजी सहायक | 30.06.1961 | 15.06.1961 | निजी सहायक |

कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कार्मिकों को एक वर्ष या प्राधिकरण की आवश्यकता तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण कार्यकारी समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार श्री मोईनुद्दीन, सेवा निवृत्त निजी सहायक को एक वर्ष या प्राधिकरण की आवश्यकता तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: श्रीमती मधु गौड पत्नि सुरेश गौड भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर 2 रामराज नगर योजना का भूखण्ड आवंटन बाबत।

| क्र.स | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|-------|--|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | श्रीमती मधु गौड पत्नि सुरेश गौड भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर 2 रामराज नगर योजना का भूखण्ड आवंटन की अभिशंषा की गई है। |


श्रीमती मधु गौड पत्नि सुरेश गौड भूखण्ड संख्या 210 सेक्टर 2 माप 178.37 वर्गमीटर का भूखण्ड दिनांक 22.02.2018 को लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ था। उक्त भूखण्ड गहरे गढ़ा के कारण भूखण्ड का आकार कम हो गया था इसलिए प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर 2 रामराज नगर योजना की लिखित सहमति प्राधिकरण में प्रस्तुत की है। वर्तमान में प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 210 सेक्टर 2 रामराज नगर योजना का खड्डा अभियांत्रिकी शाखा द्वारा भरवाया जा चुका है।

भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर 2 रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु प्राधिकरण की निम्न शाखाओं से रिपोर्ट ली गयी जो कि निम्न प्रकार है:-

प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर 2 रामराज नगर योजना मौके पर रिक्त है तथा भूखण्ड का माप 178.37 वर्गमीटर (पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समान साइज) का है।

वसुली शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर रिक्त है तथा भूखण्ड की साइज 178.37 वर्गमीटर है।

निलामी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर 2 रामराज नगर योजना का निलामी द्वारा विक्रय नहीं किया गया है।

 4

अतः प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार रामराज नगर योजना भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर 2 माप 178.37 वर्गमीटर (पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समान साइज) का भूखण्ड आवंटन किये जाने वाले प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रार्थी की लिखित सहमति अनुसार रामराज नगर योजना भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर 2 माप 178.37 वर्गमीटर (पूर्व में आवंटित भूखण्ड के समान साइज) का भूखण्ड आवंटन किये जाने निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: श्री वसीम अंसारी पुत्र तस्कीन अहमद भूखण्ड संख्या 334 श्याम नगर योजना के एवज में अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।

| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|----------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | श्री वसीम अंसारी पुत्र तस्कीन अहमद भूखण्ड संख्या 334 श्याम नगर योजना के एवज में अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

प्रार्थी श्री वसीम अंसारी पुत्र श्री तस्कीन अहमद अंसारी द्वारा न्यास प्रस्ताव सं. 13 (12) दिनांक 9.1.97 की अनुपालना में खसरा संख्या 771/29-बी ग्राम जोधपुर में स्थित भूखण्ड को विवाद को आपसी समझौते से निस्तारण करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 771 चक सं. 29-बी क्षेत्रफल 30×60त्र167.22 वर्गमीटर के भूखण्ड के चैनल दस्तावेजों की फोटो प्रतिया प्रस्तुत की गई। प्रकरण में संपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण 46 खसरा निस्तारण समिति में रखा गया। 46 खसरा निस्तारण समिति के निर्णयानुसार प्रार्थी द्वारा समर्पित भूमि में से 20 प्रतिशत भूमि काट भूखण्ड संख्या 334 श्याम नगर योजना क्षेत्रफल 160 वर्गगज अर्थात् 133.78 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

दिनांक 14.09.2009 को भूखण्ड संख्या 334 श्याम नगर योजना का क्षेत्रफल 133.78 वर्गमीटर का आवंटन पत्र जारी किया गया। संपूर्ण राशि जमा होने पर दिनांक 18.09.2009 को उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी की गई।

मौके पर अतिक्रमण होने के कारण कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया तथा अतिक्रमियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल रिट प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा रखी है।

प्रार्थी श्री वसीम द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 334 श्याम नगर योजना के संबंध में उक्त भूखण्ड के एवज में भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है।

राजीव गांधी नगर आवासीय योजना सेक्टर ए में भूखण्ड संख्या 130, 129, 106 सभी का क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर है। प्रार्थी को पूर्व में समझौते के आधार पर 133.78 वर्गमीटर का दिया गया था।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 334 श्याम नगर योजना क्षेत्रफल 133.78 वर्गमीटर के एवज में राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर ए का एक भूखण्ड का क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटन मय अधिक

जरी

क्षेत्रफल की राशि वर्तमान आरक्षित दर से वसुल करते हुए प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए प्लॉट के पार्क फेसिंग होने के आधार पर 5 प्रतिशत आरक्षित दर तथा कॉर्नर प्लॉट होने के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षित दर यथा कुल 15 प्रतिशत अधिक आरक्षित दर के आधार पर मूल्यांकन किया जाकर राजीव गांधी नगर योजना में 275 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: श्री रामनिवास सारण पुत्र श्री लक्ष्मणराम भूखण्ड संख्या 254 सेक्टर-01 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव |
|---------|---|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। JDA/FTS/78404 | भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु। |

प्रार्थी श्री रामनिवास सारण पुत्र श्री लक्ष्मणराम को नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 25.07.2008 को लॉटरी के जरिये भूखण्ड संख्या 88 दन्तोपंत ठेगडी नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर क्षेत्रफल 113.81 वर्गमीटर आवंटित किया गया। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवाकर लीजडीड जारी करने की मांग की गई। कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड सड़क सीमा में बताया गया। उक्त भूखण्ड सड़क सीमा में आने के कारण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक 12.03.2016 के प्रस्ताव संख्या 14 के निर्णय की पालना में प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 254 सेक्टर-1 रामराज नगर योजना क्षेत्रफल $25 \times 49 = 113.81$ वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने हेतु कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर कनिष्ठ अभियन्ता से भूखण्ड की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड के मौके पर अतिक्रमण बताया गया। प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के बदले आवंटित भूखण्ड संख्या 254 सेक्टर-01 पर अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की गई ताकि मकान बनाकर रहवास कर सके।

प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 254 सेक्टर-01 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 254 सेक्टर-01 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: मानसागर पार्क के विकास कार्य प्रगति के एंवज में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिर्षा/प्रस्ताव |
|--------|---|--|
| 1 | मानसागर पार्क के विकास कार्य प्रगति के एंवज में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत। | मानसागर पार्क के विकास कार्य प्रगति के एंवज में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में भूखण्ड आवंटन की अभिर्षा की जाती है। |

मानसागर विकास कार्य के दौरान जिन लोगो का अतिक्रमण हटाया गया उन्हें पुर्नवासित करने के लिए प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.4.2012 के प्रस्ताव संख्या 34 में उक्त लोगो को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में आरक्षित दर पर समकक्ष भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। (निर्णय की प्रति संलग्न हैं)

उक्त निर्णय के पश्चात प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया जिस संदर्भ नगरीय विकास विभाग पत्र क्रमांक प.3(232)नवि/3/2012 जयपुर दिनांक 27.11.2012 के द्वारा मानसागर में निवास करने वाले कब्जेधारियो को पुनर्वासित हेतु पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में आरक्षित दर पर 110 व.ग भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। (स्वीकृति की प्रति संलग्न हैं)

उक्त स्वीकृती आने के पश्चात जेडीए के पत्र क्रमांक 23.9.2013 के द्वारा उपरोक्त 14 कब्जाधारियों को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु लॉटरी निकालने के लिए समिति बनाई गई। उक्त समिति में दिनांक 24.9.2013 को लॉटरी के द्वारा भूखण्ड आवंटन किया गया। (समिति व आवंटन की सूची संलग्न है।)


उक्त लॉटरी के पश्चात उक्त लोगो को आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने का मांग पत्र जारी किया गया जिसमें स्वायत शासन विभाग के पत्र क्रमांक भूमि/एफ 7(ड)/अभि-12/डीएलबी/12/24013 दिनांक 6.12.2012 का हवाला दिया गया है साथ ही पत्रावली में संलग्न बिना हस्ताक्षर का एक पत्र है जिसमें लिखा है कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय नगरीय विकास विभाग के दिनांक 9.1.2013 के जोधपुर प्रवास के दौरान मौखिक निर्देशानुसार उक्त कब्जाधारियो को आरक्षित दर में छूट करने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। जिसकी अभी तक कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। (आदेश दिनांक 6.6.2012 व पत्र प्रति संलग्न है।)

उपरोक्त स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण उक्त कब्जेधारियों को भूखण्ड आवंटन एवं कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की गई। जेडीए द्वारा जिन 14 लोगो की लॉटरी निकाली गई थी उसमें से 6 लोगो के अतिक्रमण दिनांक 5.5.2010 को हटाये गये थे तथा शेष लोगो के अतिक्रमण अभी हाल ही में निगम के द्वारा हटाये गये थे जिसके कारण लोगो के द्वारा भूखण्ड की मांग की जा रही है।

उक्त लोगो के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राशि जमा करवाने के संदर्भ में इनको अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा अवगत करवाया कि आरक्षित दर पर आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आरक्षित दर से राशि जमा कराने पर भूखण्ड आवंटन की किया जा सकता है इस संदर्भ में उन लोगो के द्वारा सहमति प्रदान की गई की वो तत्समय की आरक्षित दर से राशि जमा कराने को तैयार हैं।

इस संदर्भ में प्रकरण के विधिक परिक्षण निदेशक विधि महोदय द्वारा करवाया जाने पर उनकी राय प्राप्त हुई की उनका प्रकरण 10 वर्ष पुराना है। अतः कार्यकारी समिति की अनुमोदन के पश्चात ही भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है। ?

अतः प्रकरण मे पूर्व में जेडीए द्वारा निकाली गई लॉटरी के अनुसार आवंटियो को तत्समय की आरक्षित दर पर पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना में 110 व.ग. के भूखण्ड, नगरीय विकास विभाग से प्राप्त स्वीकृति दिनांक 27.11.2012 के अनुसार, आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।



निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में वर्तमान आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 425/3 ग्राम कडवड़ में दर्शायी गई मास्टर प्लान व जोनल प्लान में वाटर बॉडी हटाने के संबंध में।

| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषांशा/प्रस्ताव |
|----------|---|---|
| 1 | ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 425/3 ग्राम कडवड़ में दर्शायी गई मास्टर प्लान व जोनल प्लान में वाटर बॉडी हटाने के संबंध में। | ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 425/3 ग्राम कडवड़ में दर्शायी गई मास्टर प्लान व जोनल प्लान में वाटर बॉडी हटाने की अभिषांशा की जाती है। |

ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 425/3 ग्राम कडवड़ में दर्शायी गई मास्टर प्लान व जोनल प्लान में वाटर बॉडी हटाने हेतु प्रार्थी द्वारा मांग की गई है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 425/3 खातेदारी भूमि है तथा किस्म गै मु. बरानी है तथा मौके पर भी कोई जल भराव नहीं है। जबकि मास्टर प्लान व जोनल प्लान में वाटर बॉडी दर्शायी गई है।


आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम करवड़ के खसरा सं 426 का भू-उपयोग मास्टर प्लान -2031 अनुसार नॉलेज सिटी, वॉटर बोडी एवं ग्रीन बैल्ट में 60 मी. सड़क पर आरक्षित है। इस प्रकार उक्त भूमि में मास्टर प्लान में सहवन से वाटर बॉडी दर्शाया गया है।

अतः आवेदक के प्रार्थना पत्र अनुसार मास्टर प्लान में शुद्धिकरण का प्रस्ताव समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त जलीय क्षेत्र मास्टर डवलपमेंट प्लान के प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) द्वारा भौतिक सर्वे के आधार पर तैयार की गई जी.टी. शीट्स में भी दर्शाये गये हैं। बैठक के दौरान यह तथ्य भी जानकारी में आया कि उपरोक्त प्रकरण के अतिरिक्त मास्टर डवलपमेंट प्लान में राजकीय/निजी भूमियों पर कुछ अन्य स्थानों पर भी जलीय क्षेत्र दर्शाये गये हैं जबकि राजस्व रिकॉर्ड में एवं मौके की स्थिति अनुसार जलीय क्षेत्र नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों में मास्टर डवलपमेंट प्लान में संशोधन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

01. मास्टर डवलपमेंट प्लान के प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शित जलीय क्षेत्रों के संबंध में सिंचाई विभाग/अन्य संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
02. उपरोक्त प्रकरणों में मौका स्थिति प्राप्त की जाकर जलीय क्षेत्र व आस-पास उक्त जलीय क्षेत्र के केचमेंट एरिया के नहीं होने के संबंध में संबंधित अभियंता की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
03. अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित नहीं होने के संबंध में जोन स्तर पर परीक्षण करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित



किया गया। साथ ही प्रश्नगत भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश आदि के संबंध में निदेशक विधि से राय प्राप्त की जाए।

04. सेटलमेंट के पश्चात् तैयार की गई मिसल बंदोबस्त अनुसार राजस्व मानचित्र में जलीय क्षेत्र नहीं होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार सिंचाई विभाग की अनापत्ति/मौका रिपोर्ट/अब्दुल रहमान वाद में पारित निर्णय के संदर्भ में रिपोर्ट/विधिक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर जोन स्तर पर परीक्षणोपरांत मय अभिशंषा के प्रस्ताव आयोजना शाखा को प्रेषित किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
05. उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त प्रकरणों को मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम में उल्लेखित प्रक्रिया अपनाते हुए संशोधन किये जाने के संबंध में एजेण्डा तैयार कर आगामी कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखे जाने हेतु निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया।

बैठक के दौरान जोन उपायुक्त-6 द्वारा राजस्व ग्राम गंगाणी में स्थित जोविप्रा के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 391(किस्म गै.मु.गोचर) को मास्टर डवलपमेंट प्लान में दर्शित वॉटर बॉडी के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र प्रस्तावित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया है, जिसके संबंध में भी समिति द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया।

चर्चा के दौरान यह भी जानकारी में आया कि कई स्थानों पर मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़कों के मार्गाधिकार के अधिकांश भाग में आबादी बस चुकी है/निर्माण हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उक्त सड़कों का क्रियान्वितिकिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा भी शहर के अन्दर के राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग व अन्य सड़कों के मार्गाधिकार के दोनों ओर 80 प्रतिशत निर्माण होने की स्थिति में मार्गाधिकार पुनः निर्धारण कर पट्टे देने के संबंध में दिनांक 14.07.2022 को आदेश जारी किया गया है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत नगर निगम क्षेत्र के बाहर मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़कों के एलाइनमेंट में 80 प्रतिशत से अधिक मौके पर निर्माण हो चुके हैं, उन सड़कों का चिह्निकरण किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: वार्ड संख्या 20 ग्राम सांगरिया में आवंटित भूखण्ड सं. जे-24 नाप 311.11 व.ग., जे-32 नाप 311.11 व.ग. व जे-91 रकबा 233.33 व.ग. पर अतिक्रमण होने पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने के क्रम में।

अवार्ड संख्या 20 खसरा सं. 226 रकबा 23.07 बीघा ग्राम सांगरिया अवार्ड श्री संजू व प्रकाश पुत्रान् श्री पुखराज के नाम अवार्ड जारी हैं। अवार्ड में अवार्डियों के उक्त अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे के रूप में 20 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्डों का आवंटन किया गया। अवार्ड में लॉटरी में आवंटित अन्य भूखण्डों के साथ उक्त तीन भूखण्ड जे-24 नाप 311.11 व.ग., जे-32 नाप 311.11 व.ग. व जे-91 रकबा 233.33 व.ग. का आवंटन अवार्ड में किया गया। जो अतिक्रमण से प्रभावित है। उक्त भूखण्डों के एवज में अवार्ड द्वारा अन्य भूखण्ड सेक्टर जी में ही आवंटन करने की मांग की गई।

प्रकरण के संबंध में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 20 के अनुसार बैठक बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रकरण में कब्जे की वर्तमान स्थिति(मय फोटो) तथा कब्जा हटाया जा सकता है अथवा नहीं ? आरक्षित दर सहित एवं सड़क चौड़ाई के आधार पर दरों व कॉर्नर के संबंध में भी टिप्पणी आदि समस्त तथ्यों का समावेश कर विस्तृत रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। जिसके संबंध में तथ्य निम्नानुसार है:-

कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार विवेक विहार योजना में सेक्टर जे में भूखण्ड संख्या 24, 32 व 91 मौके पर पक्के रहवासीय मकान बने हैं एवं पक्की कच्ची बस्ती (अतिक्रमण) है जिसको त्रिवेणी नगर नाम से जाना जाता है मौके पर 80 से 100 हाउसहोल्ड और प्लॉट हैं एवं मय बिजली कनेक्शन रहवास कर रहे हैं। (मौका रिपोर्ट की फोटो संलग्न) अवार्ड में अवार्ड श्री संजू उर्फ संजय

जप

भाटी पुत्र श्री पुखराज भाटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त तीनों भूखण्डों के स्थान पर अन्य भूखण्ड अपनी अवाप्तसुदा सेक्टर जी में ही आवंटन करने की मांग की है। अतः प्राधिकरण की एन.आई.सी. शाखा से प्राप्त सेक्टर 'जी' के रिक्त भूखण्डों की सूची अनुसार उक्त अवार्ड में दो भूखण्ड 350 व.ग. के देय क्षेत्रफल 855.55 व.ग. के एवज में 700 व.ग. के भूखण्ड आवंटन किये जाने है। पूर्व में आवंटित अतिक्रमित भूखण्डों का विवरण :-

| क्र. सं. | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल व.ग. | सड़क चौड़ाई | आरक्षित दर | मौका स्थिति | कॉर्नर की स्थिति |
|----------|---------------|----------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|
| 1 | जे-24 | 311.11 | 30 | 13000/- प्रति वर्गमीटर | अतिक्रमण | नहीं |
| 2 | जे-32 | 311.11 | 40 | 13000/- प्रति वर्गमीटर | अतिक्रमण | नहीं |
| 2 | जे-91 | 233.33 | 40 | 13000/- प्रति वर्गमीटर | अतिक्रमण | नहीं |

एन.आई.सी. शाखा से प्राप्त सेक्टर 'जी' के रिक्त भूखण्डों का विवरण :-

| क्र. सं. | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल व.ग. | सड़क चौड़ाई | आरक्षित दर | मौका स्थिति | कॉर्नर की स्थिति |
|----------|---------------|----------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|
| 1 | जी-210 | 350 | 60 | 13000/- प्रति वर्गमीटर | रिक्त | नहीं |
| 2 | जी-223 | 350 | 60 | 13000/- प्रति वर्गमीटर | रिक्त | नहीं |

अतः प्रकरण पुनः सम्पूर्ण रिपोर्ट के साथ निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तावित है।

निर्णय


बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पूर्व में आवंटित अतिक्रमित भूखण्ड जे-24 से जे-32, जे-91 की जगह विवेक विहार के सेक्टर-जी में जी-210 व जी-223 भूखण्ड आवंटन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: शहरी जन सहभागिता के तहत अनुमत राशि रुपये 8.00 करोड़ के नगर-निगम, उत्तर को हस्तांतरण हेतु कार्यकारी समिति की स्वीकृति का प्रस्ताव।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---------|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार प्रस्तुत है | "शहरी जन सहभागिता के तहत अनुमत राशि रुपये 8.00 करोड़ के नगर-निगम, उत्तर को हस्तांतरण" हेतु कार्यकारी समिति की स्वीकृति का प्रस्ताव। |

उपरोक्तानुसार कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-द्वितीय, जोधपुर के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक (1)विकास/बैठक/2023/45 दिनांक 09.03.2023 तथा (2) विकास/बैठक/2023/568 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा जोधपुर शहर में जन-सहभागिता योजनान्तर्गत किये जाने वाले विकास कार्यों के संदर्भ में आयोजित बैठक में सहमति अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण को नियमानुसार अनुमत राशि का 30 प्रतिशत कुल राशि रुपये 8.00 करोड़ नगर-निगम, उत्तर को हस्तांतरित हेतु निर्देश प्राप्त हुए है। उक्त राशि में से राशि रुपये 3.00 करोड़ नगर-निगम, उत्तर को प्राधिकरण के पत्रांक 3585 दिनांक 10.03.2023 द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है।

नगर-निगम उत्तर को हस्तांतरित की जाने वाली उक्त राशि द्वारा करवाये जाने वाले विकास कार्यों का विवरण के साथ राशि का का उपभोग उसी प्रयोजनार्थ व्यय किये जाने और उपयोगिता/कार्य-पूर्णता प्रमाण-पत्र भिजवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जानी है। चूंकि कुल राशि रुपये



8.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर उक्त राशि हस्तांतरित की जानी है, जिसकी सक्षमता कार्यकारी समिति में है।

अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 8.00 करोड़ की स्वीकृति का प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अन्य योजना में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को राशि लौटाये जाने की शर्त पर उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: Agenda Note for Revised Administrative & Financial Sanction and approval of additional (Extra & Excess) work of Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and Operation & Maintenance of 10 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at Uchiyarda in Jodhpur, Rajasthan


| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---------|---|--|
| 1. | Agenda Note for Revised Administrative & Financial Sanction and approval of additional (Extra & Excess) work of Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and Operation & Maintenance of 10 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at Uchiyarda in Jodhpur, Rajasthan.s | उक्त कार्य में राशि रु 1700.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। कार्य का कार्यदेश राशि रु 1990.00 लाख (निर्माण लागत 1390.00 लाख एवं संचालन व रखरखाव 690.00 लाख) का जारी किया गया था। पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.04.2021 में कार्यदेश राशि अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमोदित की गई थी। उक्त कार्य हेतु राशि रु 144.12 लाख के अधिक/अतिरिक्त एवं राशि रु 2134.13 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत करना उचित होगा। |

AGENDA NOTE FOR EC MEETING

Subject: - Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and Operation & Maintenance of 10 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at Uchiyarda in Jodhpur, Rajasthan. - Approval of additional (Extra & Excess) work to be done at the STP Project & providing additional Administrative & Financial approval for the same.

This is with reference to the above subject; the project for Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical, Electrical works and Operation & Maintenance of 10 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at Uchiyarda in Jodhpur, Rajasthan. Has been assigned to Standard Infratech India Pvt Limited. The construction works for Air Blower & Admin Building, Chlorination Building, Retaining Wall, SBR Unit chlorine contact tank, treated water reservoir and sludge storage sump are in progress at site.

Following items were executed & are in progress of execution for the construction of the Sewage treatment plant project, the following items shall be considered as additional work as the same stands out of the scope of work of the contract.



1. REQUEST TO SANCTION EXTRA WORK – CHANGE IN PROPOSED CONSTRUCTION SITE, DEMOLISHION OF EXISTING SHAMSHAN STRUCTURES FOR STP CONSTRUCTION & CONSTRUCTION OF NEW SHAMSHAN AT THE BALANCE AVAILABLE LAND

The above work was entrusted to Standard Infratech India Pvt Limited, on complete design built basis, The land proposed during DPR stage & during bidding is limited, low laying & submerged under water (Flooded) during monsoon, hence shifted to upstream location at site. The upstream land assigned for the project consists of a Shamshan in it. A lot of proposed construction units are coinciding with the existing shamshan structures which are to be demolished for Sewage Treatment Plant (STP) construction. Firstly the residents & villagers of uchiyada resisted any construction near to their shamshan facility. Based on the subsequent meetings held by the JDA officials with the residents & villagers of uchiyada, directions have been given to the contractor to build a new Shamshan facility at available land adjacent to proposed Sewage Treatment Plant (STP) site with finished floor level (FFL) of new shamshan structure equal to the proposed finished floor level (FFL) of STP. JDA Officials have directed contractor to demolish the constructed units of the existing Shamshan which are overlapping with STP layout and advised to build a new Shamshan at an additional cost which is independent of the STP project cost.

Inline to the bid document SECTION V - Procuring Entity's, Requirement, Sub clause - GENERAL REQUIREMENTS AND SCOPE OF WORK, sub sub clause - Location and Capacity of STP has been detailed. Further to it, an annexure 2 – which details the proposed land for STP construction has been issued for consideration. During execution the same has been found to be low laying & submerged under water (Flooded) during monsoon, hence shifted to upstream location at site.

Inline to the provisions of the contract, SECTION VI A - General Conditions of Contract
The contractor is entitled for a compensation as per the following clause as detailed below.

41. Compensation 41.1 The following shall be Compensation Events:

(f) Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Acceptance from the information issued to bidders (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.

"If a Compensation Event would cause additional cost or would prevent the work being completed before the Intended Completion Date, the Contract Price shall be increased and/or the Intended Completion Date shall be extended. The Engineer shall decide whether and by how much the Contract Price shall be increased and whether and by how much the Intended Completion Date shall be extended.

As soon as information demonstrating the effect of each Compensation Event upon the Contractor's forecast cost has been provided by the Contractor, it shall be assessed by the Engineer, and the Contract Price shall be adjusted accordingly. "

Considering the above requirements & provisions, the requirement has been reviewed & provisionally approved by the S.E & D. E as per the provisions of the SOP of JDA

2. Request to sanction extra work – Construction of RCC Retaining wall


The land proposed during DPR stage & during bidding is limited, low laying & submerged under water (Flooded) during monsoon, hence shifted to upstream location at site. The upstream land assigned for the project also falls under the flood zone as the same is adjacent to the river & within FTL limits

Considering the ground conditions & requirements, the cross section provided for the standard boundary wall in the Annexure-7 of tender shall not hold good considering to the earth filling depth. Accordingly the engineer in charge instructed the contractor to provide RCC Retaining wall (all three sides) for the Sewage treatment plant.

Inline to the bid document, SECTION – V - Procuring Entity's Requirements,
SUB SECTION 1B - Plant Specifications,

10. Treated effluent disposal and Compound Wall of Treatment Plant site & Approach Road

B. Compound Wall of STP site and its Main Gates - Contractor shall construct compound wall all around the plot boundary and fix main gates if required of STP compound facing towards road as per the requirement and approval of Procuring Entity or Procuring Entity's Representative.



The wall shall be constructed in 1:6 CM in brick masonry. Boundary wall shall have pillars at a spacing of 3 m. Foundation shall be 125 cm below GL or as per site requirement. Height of wall shall be 1.8 m from GL.

The construction of compound wall of 1.8 m above ground level all around the plant boundary and fixing of compound gates are in the scope of work as a part of this contract. It is recommended to construct the boundary wall up to 1.8 m from GL with intermediate columns at defined intervals. However the proposed boundary wall of 1.8 Mts height with intermediate columns at defined intervals shall not hold good for the proposed project. The HFL considered is 2.0 to 3 m above the existing ground level, so an average filling to 2.0 to 3 m is envisaged at construction site. The average NGL at site 203 - 204.0, FGL at site 206, however the footing shall be at least 1 - 1.5 m below the NGL at site which totals to overall 4 m. above which we have to provide the 1.8 Mt height Boundary wall

As per the existing Ground level and proposed FFL, earth filling of nearly 2.50 -3.00 mtrs depth has to be done. Hence, the Cross Section provided for the standard boundary wall in the Annexure-7 of tender shall not hold good considering to the earth filling depth. Accordingly, the Contractor has submitted the revised design and drawing for RCC Retaining Wall to be provided below the standard boundary wall section as per the site requirement. In addition, additional Earth filling has to be done by the contractor for this retaining wall on outside portion. In the above retaining wall regard, the requirements has been considered and approved for execution at site,

Inline to the provisions of the contract, SECTION VI A - General Conditions of Contract
The contractor is entitled for a compensation as per the following clause as detailed below.

41. Compensation 41.1 The following shall be Compensation Events:

(f) Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Acceptance from the information issued to bidders (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.

(g) The Engineer gives an instruction for dealing with an unforeseen condition, caused by the Employer, or additional work required for safety or other reasons.

Considering the above requirements & provisions, the requirement has been reviewed & provisionally approved by the S.E & D. E as per the provisions of the SOP of JDA

Further to the above, a payment of Rs. 31, 25,892.23 has been paid to the contractor as a part of the regular RA Bill 2 against work done at site.


3. REQUEST TO SANCTION EXCESS WORK – FOR SBR & CHLORINE CONTACT TANK

Inline to the bid document SECTION V - Procuring Entity's, Requirement, Sub clause - GENERAL REQUIREMENTS AND SCOPE OF WORK, sub sub clause – *All the designs and drawings of the STPs under this package are required to be appraised by JDA and approved from any of the Indian Institute of Technology/ National Institute of Technology (IIT/NIT)/ concerning department at Contractor's cost and in conformation with CPHEEO specifications and Indian Standards*

According to the tender general requirements and scope of work (Pg. 77 of 350) The EPC agency needs to submit the Hydraulic, Process, Structural, E&M and P&I detailed GFC drawings and designs which need to be vetted by NIT / IITs. will be approved by the Employer. In the above regard, contractor M/s Standard Infratech India Pvt Limited. Approached IIT Hyderabad for design review & recommendations. All the reviewed & vetted process & structural designs has been submitted for further approval for execution from JDA

It has been apprised that the thickness of the base slab for SBR basin works out to be 200 mm thick, as per contractor design, the same has been reviewed & approved by IIT. However as there may be a possibility of uplift pressure looking to the depth of SBR basin, due to high ground water levels at site. The thickness of the base slab of SBR basin along with other design considerations of the referred submitted units need to be rechecked as per IS codes inline to the prevailing site conditions

The STP is based on Sequential Batch Reactor technology & the SBR units being critical & required a lot of dedicated engineering insight for approval, The Structural engineering department of MBM University being an expertise in structural design, JDA approached Prof Ajay Sharma - Head of the department (HOD), Civil Engineering department of MBM University for review & approval assistance. Further to the design review & site observations a few recommendations has been made by Prof. Ajay Sharma for improving overall structural stability & life of the structure considering all adverse conditions that exists locally.



The key recommendations made by Prof. Ajay Sharma of MBM University includes, subsoil improvement, increased steel & concrete thickness to withstand unpredictable conditions at site. Based on the recommendation made by Prof. Ajay Sharma, JDA directed the contractor for onward execution at site, the site works has been executed by the contractor inline to by Prof. Ajay Sharma's recommendations

Inline to the provisions of the contract, SECTION VI A - General Conditions of Contract
The contractor is entitled for a compensation as per the following clause as detailed below.

41. Compensation 41.1 The following shall be Compensation Events:

(f) Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Acceptance from the information issued to bidders (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.

(g) The Engineer gives an instruction for dealing with an unforeseen condition, caused by the Employer, or additional work required for safety or other reasons.

"If a Compensation Event would cause additional cost or would prevent the work being completed before the Intended Completion Date, the Contract Price shall be increased and/or the Intended Completion Date shall be extended. The Engineer shall decide whether and by how much the Contract Price shall be increased and whether and by how much the Intended Completion Date shall be extended.

As soon as information demonstrating the effect of each Compensation Event upon the Contractor's forecast cost has been provided by the Contractor, it shall be assessed by the Engineer, and the Contract Price shall be adjusted accordingly. "

Considering the above requirements & provisions of the contract - SECTION I INSTRUCTION TO BIDDERS - 6. Award of Contract

6.1 Procuring Entity's Right to Vary Quantities - 6.1.2 - Order for additional quantity of an item of the Works upto 50 percent of the original quantity of that item in the Bill of Quantities and for extra items not provided for in the Bill of Quantities may be given but the amount of the additional quantities and extra items, taken together, shall not exceed 50 percent of the Contract Price.

The requirement has been reviewed & provisionally approved for execution by the S.E & D. E as per the provisions of the SOP of JDA

The above STP work was allotted to the contractor on turnkey basis in which no scheduled items were included for other construction activity, rather stage wise payment schedule was fixed against the work done as per the contract agreement conditions.


The initial estimate for the work submitted by the consultant M/s Egis India Consulting Engineers Pvt Ltd was based on RUIDP SOR-2017. Accordingly, the new extra items have been framed on the basis of same RUIDP SOR-2017. The tender floated for above construction work was of Rs. 14.94 crores. The rate quoted by the bidder was Rs. 13.90 crores for the same. Accordingly, the T.P. works out to be as $(14.94 - 13.90) / 14.94 \times 100$ i.e. 6.96 % below. The same T.P. have been considered in the cost calculation of extra work items. Accordingly, the extra item slip has been prepared which is annexed with the file amounting to Rs. 1,44,12,525.88/- Matter submitted for perusal and further necessary action please.

Hence, the matter is submitted before Executive Committee of Authority for approval and sanction of Extra & Excess items, along with additional administrative & financial approval for the same. Total amount for the above additional work is Rs. 1,44,12,525.88/- and the same is submitted herewith before Executive Committee for approval as per the provisions of the SOP.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: Agenda Note for Revised Administrative & Financial Sanction and approval of additional (Extra & Excess) work of Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and Operation & Maintenance of 15 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at Vivek Vihar Yojna in Jodhpur



| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव |
|---------|--|---|
| 1. | Agenda Note for Revised Administrative & Financial Sanction and approval of additional (Extra & Excess) work of Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and Operation & Maintenance of 15 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at Vivek Vihar Yojna in Jodhpur | उक्त कार्य में राशि रु 2240.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। कार्य का कार्यादेश राशि रु 2520.00 लाख (निर्माण लागत 1800.00 लाख एवं संचालन व रखरखाव 720.00 लाख) का जारी किया गया था। पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.04.2021 में कार्यादेश राशि अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमोदित की गई थी। उक्त कार्य हेतु राशि रु 249.77 लाख के अधिक/अतिरिक्त एवं राशि रु 2769.78 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति करना उचित होगा। |

AGENDA NOTE FOR EC MEETING

Subject: -Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and Operation & Maintenance of 15 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at VivekViharYojna in Jodhpur - Approval of additional (Extra &Excess)work to be done at the STP Project & providing additional Administrative & Financial approval for the same.

This is with reference to the above subject, the project for Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and Operation & Maintenance of 15 MLD Sewage Treatment Plant by SBR Process on Turnkey Basis at VivekViharYojna in Jodhpur. Has been assigned to Standard Infratech India Pvt Limited. The construction works for Air Blower & Admin Building, Chlorination Building, Retaining Wall, SBR Unit, Chlorine contact tank, Treatedwater reservoir and sludge storage sump are in progress at site.


Following items were executed & are in progress of execution for the construction of the Sewage treatment plant project, the following items shall be considered as additional work as the same stands out of the scope of work of the contract.

4. REQUEST TO SANCTION ADDITIONAL (EXTRA & EXCESS) WORK – CHANGE IN PROPOSED CONSTRUCTION SITE,

The above work was entrusted to Standard Infratech India Pvt Limited, on complete design built basis, The land proposed during DPR stage & during bidding is an existing sewage dumping pond, According to the tender general requirements, the land proposed for STP construction is not suitable for project construction on account of sewage being directly discharged into the pond for many years. To avoid the direct disposal of sewage into the Jojari river, an artificial pond has been excavated as per JDA instruction, as a part of sewer line project covering Sangaria, Vivekvihar, Kudi&Jalamand area. All the local sewage drains are connected to the pond for dumping of waste water. A lot of sludge has been deposited over the pond bed level, which limits the structural stability hence the location of the STP has been shifted to the available land.

Due to the above change in proposed STP location, & further to the change in site levels, HFL considerations, the head works including stilling chamber, coarse screen chamber, wet well cum pump house are required to be constructed at higher depths. The head works & wet well cum pump house of depth 10 mt is required to be constructed at site in place of proposed 6.5 m depth which is a mandatory hydraulic requirement of the project..

Inline to the bid document SECTION V - Procuring Entity's, Requirement, Sub clause - GENERAL REQUIREMENTS AND SCOPE OF WORK, sub sub clause - Location and Capacity of STP has



been detailed. Further to it, an annexure 2 – which details the proposed land for STP construction has been issued for consideration. During execution the same has been found to be not suitable, hence shifted to upstream location at site.

Inline to the provisions of the contract, SECTION VI A - General Conditions of Contract

The contractor is entitled for a compensation as per the following clause as detailed below.

41. Compensation 41.1 The following shall be Compensation Events:

(f) Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Acceptance from the information issued to bidders (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.

"If a Compensation Event would cause additional cost or would prevent the work being completed before the Intended Completion Date, the Contract Price shall be increased and/or the Intended Completion Date shall be extended. The Engineer shall decide whether and by how much the Contract Price shall be increased and whether and by how much the Intended Completion Date shall be extended.

As soon as information demonstrating the effect of each Compensation Event upon the Contractor's forecast cost has been provided by the Contractor, it shall be assessed by the Engineer, and the Contract Price shall be adjusted accordingly. "

Considering the above requirements & tender provisions, the requirement has been reviewed & provisionally approved by the then S.E & D. E for execution at site.

5. REQUEST TO SANCTION EXTRA WORK – CONSTRUCTION OF RCC RETAINING WALL

The land proposed during DPR stage & during bidding is limited, low laying, low soil bearing capacity & (Flooded) during monsoon, hence shifted to upstream location at site. The upstream land assigned for the project also falls under the flood zone as the same is adjacent to the **river & pond on both sides.**

Considering the ground conditions & requirements, the cross section provided for the standard boundary wall in the Annexure-7 of tender shall not hold good considering to the earth filling depth. Accordingly the engineer in charge instructed the contractor to provide RCC Retaining wall (all three sides) for the Sewage treatment plant.

Inline to the bid document, SECTION – V - Procuring Entity's Requirements,

SUB SECTION 1B - Plant Specifications,

10. Treated effluent disposal and Compound Wall of Treatment Plant site & Approach Road

B. Compound Wall of STP site and its Main Gates - Contractor shall construct compound wall all around the plot boundary and fix main gates if required of STP compound facing towards road as per the requirement and approval of Procuring Entity or Procuring Entity's Representative.

The wall shall be constructed in 1:6 CM in brick masonry. Boundary wall shall have pillars at a spacing of 3 m. Foundation shall be 125 cm below GL or as per site requirement. Height of wall shall be 1.8 m from GL.

The construction of compound wall of 1.8 m above ground level all around the plant boundary and fixing of compound gates are in the scope of work as a part of this contract. It is recommended to construct the boundary wall up to 1.8 m from GL with intermediate columns at defined intervals. However the proposed boundary wall of 1.8 Mts height with intermediate columns at defined intervals shall not hold good for the proposed project. The HFL considered is 2.5 to 3 m above the existing ground level, so an average filling to 2.5 to 3 m is envisaged at construction site. However the footing shall be at least 1 – 1.5 m below the NGL at site which totals to overall 4 m. above which we have to provide the 1.8 Mt height Boundary wall

As per the existing Ground level and proposed FFL, earth filling of nearly 2.50-3.00 mtrs depth has to be done. Hence, the Cross Section provided for the standard boundary wall in the Annexure-7 of tender shall not hold good considering to the earth filling depth. Accordingly, the Contractor has submitted the revised design and drawing for RCC Retaining Wall to be provided below the standard boundary wall section as per the site requirement. In addition, additional Earth filling has to be done by the contractor for this retaining wall on outside portion. In the above retaining wall regard, the requirements has been considered and approved for execution at site,

Inline to the provisions of the contract, SECTION VI A - General Conditions of Contract

The contractor is entitled for a compensation as per the following clause as detailed below.

41. Compensation 41.1 The following shall be Compensation Events:

(f) Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Acceptance from the information issued to bidders (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.

(g) The Engineer gives an instruction for dealing with an unforeseen condition, caused by the Employer, or additional work required for safety or other reasons.

Considering the above requirements & tender provisions, the requirement has been reviewed & provisionally approved by the then S.E & D. E for execution at site.

Further to the above, a payment of Rs. 11,88,595.51 has been paid to the contractor as a part of the regular RA Bill 3 against work done at site.

6. REQUEST TO SANCTION EXCESS WORK – FOR SBR & CHLORINE CONTACT TANK

Inline to the bid document SECTION V - Procuring Entity's, Requirement, Sub clause - GENERAL REQUIREMENTS AND SCOPE OF WORK, sub sub clause – *All the designs and drawings of the STPs under this package are required to be appraised by JDA and approved from any of the Indian Institute of Technology/ National Institute of Technology (IIT/NIT)/ concerning department at Contractor's cost and in conformation with CPHEEO specifications and Indian Standards*

According to the tender general requirements and scope of work (Pg. 77 of 350) The EPC agency needs to submit the Hydraulic, Process, Structural, E&M and P&I detailed GFC drawings and designs which need to be vetted by NIT / IITs. will be approved by the Employer. In the above regard, contractor M/s Standard Infratech India Pvt Limited. Approached IIT Hyderabad for design review & recommendations. All the reviewed & vetted process & structural designs has been submitted for further approval for execution from JDA

It has been apprised that the thickness of the base slab for SBR basin works out to be 250 mm thick, as per contractor design, the same has been reviewed & approved by IIT. However as there may be a possibility of uplift pressure looking to the depth of SBR basin, due to high ground water levels at site. The thickness of the base slab of SBR basin along with other design considerations of the referred submitted units need to be rechecked as per IS codes inline to the prevailing site conditions

The STP is based on Sequential Batch Reactor technology & the SBR units being critical & required a lot of dedicated engineering insight for approval, The Structural engineering department of **MBM University** being an expertise in structural design, JDA approached **Prof Ajay Sharma - Head of the department (HOD), Civil Engineering department of MBM University** for review & approval assistance. Further to the design review & site observations a few recommendations has been made by Prof. Ajay Sharma for improving overall structural stability & life of the structure considering all adverse conditions that exists locally.

The key recommendations made by Prof. Ajay Sharma of MBM University includes, changes in foundation depth, subsoil improvement with layered geofill media, increased steel & concrete thickness to withstand unpredictable conditions at site

Based on the recommendation made by Prof. Ajay Sharma, JDA directed the contractor for onward execution at site, the site works has been executed by the contractor inline to by Prof. Ajay Sharma's recommendations

Inline to the provisions of the contract, SECTION VI A - General Conditions of Contract


The contractor is entitled for a compensation as per the following clause as detailed below.

41. Compensation 41.1 The following shall be Compensation Events:

(f) Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Acceptance from the information issued to bidders (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.

(g) The Engineer gives an instruction for dealing with an unforeseen condition, caused by the Employer, or additional work required for safety or other reasons.

"If a Compensation Event would cause additional cost or would prevent the work being completed before the Intended Completion Date, the Contract Price shall be increased and/or the Intended Completion Date shall be extended. The Engineer shall decide whether and by how much the Contract Price shall be increased and whether and by how much the Intended Completion Date shall be extended.

 17

As soon as information demonstrating the effect of each Compensation Event upon the Contractor's forecast cost has been provided by the Contractor, it shall be assessed by the Engineer, and the Contract Price shall be adjusted accordingly. "

Considering the above requirements & provisions of the contract - SECTION I INSTRUCTION TO BIDDERS - 6. Award of Contract

6.1 Procuring Entity's Right to Vary Quantities - 6.1.2 - Order for additional quantity of an item of the Works upto 50 percent of the original quantity of that item in the Bill of Quantities and for extra items not provided for in the Bill of Quantities may be given but the amount of the additional quantities and extra items, taken together, shall not exceed 50 percent of the Contract Price.

Considering the above requirements & tender provisions, the requirement has been reviewed & provisionally approved by the then S.E & D. E for execution at site.

The above STP work was allotted to the contractor on turnkey basis in which no scheduled items were included for other construction activity, rather stage wise payment schedule was fixed against the work done as per the contract agreement conditions.

The initial estimate for the work submitted by the consultant M/s Egis India Consulting Engineers Pvt Ltd was based on RUIDP SOR-2017. Accordingly, the new extra items have been framed on the basis of same RUIDP SOR-2017. The tender floated for construction work was of Rs.19.7432 crores. The rate quoted by the bidder for the same was Rs.18.0 crores. Accordingly, the T.P. works out to be as $(19.7432 - 18.00) / 19.7432 \times 100$ i.e. 8.83 % below. The same T.P. have been considered in the cost calculation of additional work items (extra & excess). Accordingly, the additional work item slip has been prepared which is annexed with the file amounting to Rs. 2,49,77,480.22 /- Matter submitted for perusal and further necessary action please.

Hence, the matter is submitted before Executive Committee of Authority for approval and sanction of Extra & Excess items, along with additional administrative & financial approval for the same. Total amount for the above additional work is Rs. 2,49,77,480.22/- and the same is submitted herewith before Executive Committee for approval.

We hereby request the Executive Committee for an approval of overall project cost of Rs. 2769.77 Lakhs as against 2520 lakhs which has been approved earlier.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध हेतु सेन्टर आफ एक्सीलेंस एण्ड रिसर्च की स्थापना का कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

| क्र.सं | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार प्रस्तुत है | मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध हेतु सेन्टर आफ एक्सीलेंस एण्ड रिसर्च की स्थापना का कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। |

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 2022-23 के बिन्दु संख्या 32.00 की क्रियान्विति हेतु मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध हेतु सेन्टर आफ एक्सीलेंस एण्ड रिसर्च की स्थापना का कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 1695.00 लाख की स्वीकृति कार्यकारी समिति से अनुमोदन/स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी की गई थी। S.O.P के भाग-1 works के क्रमांक 01 में वर्णित सक्षमताओं के अनुसार उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित है।

अतः कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 1695.00 लाख की ई.सी. की प्रत्याशा में जारी स्वीकृति का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेन्ट एवं फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था का कार्य (दर संविदा)

| क्र.सं | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार प्रस्तुत है | प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेन्ट एवं फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था का कार्य (दर संविदा) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 300.00 लाख का अनुमोदन की अभिशंषा की जाती है। |

प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेन्ट एवं फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था का कार्य (दर संविदा) की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 200.00 लाख को RTPP नियमानुसार 50 प्रतिशत तक संशोधित की गई थी जो राशि रु. 300.00 लाख है। उक्त संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय राशि रु. 300.00 लाख का अनुमोदन कार्यकारी समिति में निहित है, कार्य की अतिआवश्यकता को देखते हुये कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 300.00 लाख कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी किया गया।

अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 300.00 लाख के अनुमोदन कार्यकारी समिति से करवाने हेतु प्रस्तुत है।


निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेन्ट एवं फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था का कार्य (दर संविदा)

| क्र.सं | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|---|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार प्रस्तुत है | प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेन्ट एवं फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था का कार्य (दर संविदा) की प्रशासनिक एवं वित्तीय व एवं प्रस्तुत दरों के अनुमोदन की अभिशंषा की जाती है। |

प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेन्ट एवं फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था का कार्य (दर संविदा) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन SOP-II (Goods & services) के बिन्दु सं. 01 के अनुसार राशि रु. 100.00 लाख से अधिक की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित है, कार्य की अतिआवश्यकता को देखते हुये कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 300.00 लाख एवं दर स्वीकृत कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी किया गया।



कार्य की बिड स्वीकृति एवं दरो की स्वीकृति SOP-II (Goods & services) के बिन्दु सं. 02 के अनुसार सक्षमता कार्यकारी समिति EC में निहित है,

| S.No | Description of Work / Item(s) | No.of Qty | Units | Approved Rate With GST |
|------|--|-----------|---------|------------------------|
| 1 | A. Stage on strong iron foot 1.5 feet | 1 | Sq. Ft. | 14.16 |
| 2 | B. Stage on strong iron foot 2.5 feet | 1 | Sq. Ft. | 9.44 |
| 3 | C. Stage on strong iron foot 3' feet | 1 | Sq. Ft. | 9.56 |
| 4 | D. Stage on strong iron foot 4' feet | 1 | Sq. Ft. | 14.37 |
| 5 | E. Stage on strong iron foot 5' feet | 1 | Sq. Ft. | 11.8 |
| 6 | F. Stage on strong iron foot 6' feet | 1 | Sq. Ft. | 11.8 |
| 7 | G. Stage on strong iron foot 7' feet | 1 | Sq. Ft. | 10.62 |
| 8 | Tripal/Tent fitting with bamboo | 1 | Sq. Ft. | 2.83 |
| 9 | White Top ceiling | 1 | Sq. Ft. | 0.47 |
| 10 | Matting Velewet with plastic tape | 1 | Sq. Ft. | 0.74 |
| 11 | P.V.C. Chair | 1 | Nos. | 6.73 |
| 12 | Dunlop Chair with cover | 1 | Nos. | 12.98 |
| 13 | Camper with 20 lt. Drinking water | 1 | Nos. | 23.6 |
| 14 | Matterss Dunlop size 3'x6' | 1 | Nos. | 24.19 |
| 15 | Table size 5'x2.5' | 1 | Nos. | 9.32 |
| 16 | Table size 5'x1.5' | 1 | Nos. | 9.32 |
| 17 | Table Cover | 1 | Nos. | 4.6 |
| 18 | Table Frill | 1 | R. Ft. | 2.95 |
| 19 | Velvet Gate | 1 | Nos. | 354 |
| 20 | Side ceiling | 1 | Sq. Ft. | 0.35 |
| 21 | Chunnat Ceiling | 1 | Sq. Ft. | 0.65 |
| 22 | Bangali pillar | 1 | Nos. | 11.8 |
| 23 | Tripal on the stage | 1 | Sq. Ft. | 1.12 |
| 24 | Woolen carpet of new condition (Standard) | 1 | Sq. Ft. | 2.42 |
| 25 | Water bottle 1 lt. | 1 | Nos. | 15.34 |
| 26 | Water bottle 1/2 lt. | 1 | Nos. | 10.62 |
| 27 | Mineral water jar 20 lt. | 1 | Nos. | 30.68 |
| 28 | Lota Tamba | 1 | Nos. | 1.18 |
| 29 | Lota Plastic | 1 | Nos. | 0.24 |
| 30 | Waiter | 1 | Nos. | 259.6 |
| 31 | White bed sheet | 1 | Nos. | 9.44 |
| 32 | A. Foot Step/stairs 2.5 Ft. | 1 | Each | 10.03 |
| 33 | B. Foot Step/stairs 1.5 Ft. | 1 | Each | 10.62 |
| 34 | C. Foot Step/Stairs 3 Ft. | 1 | Each | 10.62 |
| 35 | D. Foot Step/stairs 4 Ft. | 1 | Each | 14.16 |
| 36 | Gamla with plants | 1 | Each | 18.88 |
| 37 | V.V.I.P. Wooden chair. | 1 | Each | 271.4 |
| 38 | Swiss Tent with water proof canvas and frill | 1 | Sq. Ft. | 17.82 |
| 39 | Sofa with center table | 1 | Set | 590 |
| 40 | Speech Stand of steel | 1 | Each | 590 |


20

| | | | | |
|----|---|---|---------|-------|
| 41 | Speech Stand of wood (New and polished) | 1 | Each | 500 |
| 42 | Tub steel | 1 | Each | 1.18 |
| 43 | Chunnat designing work | 1 | Sq. Ft. | 19.47 |
| 44 | Padded chari with white cover | 1 | Each | 24.77 |
| 45 | White Towel for Dignitary status | 1 | Each | 49.56 |
| 46 | White Napkin for Dignitary status | 1 | Each | 14.16 |
| 47 | VVIP Woven carpet | 1 | Sq. Ft. | 2.83 |
| 48 | Shamiyana | 1 | Sq. Ft. | 2.42 |
| 49 | Kanat | 1 | Sq. Ft. | 0.46 |
| 50 | Iron Chair | 1 | Nos. | 2.36 |
| 51 | Dari | 1 | Sq. Ft. | 0.25 |
| 52 | Chandani | 1 | Sq. Ft. | 0.2 |
| 53 | Welcome Gate Darbari | 1 | Nos. | 236 |
| 54 | Matting Red | 1 | Sq. Ft. | 0.46 |
| 55 | Matting Velvet | 1 | Sq. Ft. | 0.71 |
| 56 | Bangali Chunnat Frill | 1 | Sq. Ft. | 0.41 |
| 57 | Pole cover ordinary | 1 | Nos. | 0.71 |
| 58 | Paat size 3'x6'x1.5' | 1 | Nos. | 16.52 |
| 59 | Barricading with saal ballies as per design including tieng with vertical post by coconut string complete in all respect with two horizontal ballies height 1.2 Mtr. Up to 1.5 Mtr. | 1 | R. Ft. | 5.9 |
| 60 | Flag with pole (G.I. pipe 2"x20 feet with coloured flags) | 1 | Nos. | 22.42 |
| 61 | Sofa set with cover | 1 | Nos. | 472 |
| 62 | Dom structure without pole pandal (water proof) | 1 | Sq. Ft. | 23.6 |
| 63 | Water proof Tent/Tripal | 1 | Sq. Ft. | 8.26 |
| 64 | Canopies with curtain | 1 | Sq. Ft. | 31.86 |
| 65 | Dom with chunnat designing work | 1 | Sq. Ft. | 33.63 |
| 66 | Cushion with cover | 1 | Nos. | 4.13 |
| 67 | Bardana | 1 | Sq. Ft. | 0.35 |
| 68 | Ply Frame Gate | 1 | Nos. | 354 |
| 69 | Velvet Chandni | 1 | Sq. Ft. | 0.41 |
| 70 | Washbasin | 1 | Nos. | 17.7 |
| 71 | W.C. for temporary toilet | 1 | Nos. | 147.5 |
| 72 | Toilet made by Kanat | 1 | Nos. | 123.9 |
| 73 | Foot mate | 1 | Nos. | 3.54 |
| 74 | Center Table with sunmica top height 1/ 1/2 Feet | 1 | Nos. | 8.26 |
| 75 | (A) G.I. sheet tank (drum) for storage tank for drinking water 200 litre. | 1 | Nos. | 5.9 |
| 76 | (B) Plastic tank (drum) for storage tank for drinking water 200 litre. | 1 | Nos. | 9.56 |
| 77 | (C) Steel tank (drum) for storage tank for drinking water 20 litre. | 1 | Nos. | 9.56 |
| 78 | Service Tray | 1 | Nos. | 0.94 |
| 79 | Tea Therrmos | 1 | Nos. | 17.7 |
| 80 | Tea Container Steel | 1 | Nos. | 17.7 |

| | | | | |
|-----|---|---|---------|---------|
| 81 | Quarter Plate | 1 | Nos. | 0.47 |
| 82 | Full Plate | 1 | Nos. | 0.47 |
| 83 | Bucket of Steel | 1 | Nos. | 1.06 |
| 84 | Bucket of Plastic | 1 | Nos. | 1.06 |
| 85 | Tub of iron | 1 | Nos. | 9.44 |
| 86 | Flower pot set | 1 | Nos. | 11.8 |
| 87 | Table With sunmica top height 2 1/2 | 1 | Nos. | 15.34 |
| 88 | Side stool 1 1/2 height | 1 | Nos. | 9.44 |
| 89 | Niwar cots made of iron pipe in the size of 3'x6' | 1 | Nos. | 8.26 |
| 90 | New cotton mattress with white cover size 3'x6' | 1 | Nos. | 9.44 |
| 91 | Cottan quilt with white cover | 1 | Nos. | 9.56 |
| 92 | Pillow | 1 | Nos. | 3.54 |
| 93 | Cots of wooden | 1 | Nos. | 147.5 |
| 94 | Shethiya (Diwan set) | 1 | Nos. | 17.7 |
| 95 | Bamboo 18 feet | 1 | Nos. | 7.08 |
| 96 | Rope | 1 | R. Ft. | 0.47 |
| 97 | Water-Stainer | 1 | Nos. | 0.59 |
| 98 | Colorful bed sheet | 1 | Nos. | 7.08 |
| 99 | Chunnat pole cover | 1 | Nos. | 11.8 |
| 100 | Tub steel | 1 | Nos. | 1.18 |
| 101 | Tub Aluminum | 1 | Nos. | 9.44 |
| 102 | Glass | 1 | Nos. | 1.18 |
| 103 | Garden Chair | 1 | Nos. | 7.08 |
| 104 | Tripal/Plastic sheet | 1 | Sq. Ft. | 0.85 |
| 105 | Pipe pandal | 1 | Sq. Ft. | 4.84 |
| 106 | Pipe pandal water proof | 1 | Sq. Ft. | 7.32 |
| 107 | Cloth frill | 1 | Sq. Ft. | 1.65 |
| 108 | Panjabi Decoration | 1 | Sq. Ft. | 0.24 |
| 109 | Mattress Foam 3'x6'x4" | 1 | Each | 21.24 |
| 110 | Round Table with cover | 1 | Each | 21.24 |
| 111 | Dunlop Sofa with cover | 1 | Each | 153.4 |
| 112 | Ramp for stage with railing | 1 | Sq. Ft. | 15.05 |
| 113 | Frill of plastic flower | 1 | Sq. Ft. | 2.6 |
| 114 | Swiss tent with attached Bathroom (Running water) including all accessories like Bed, Table, Sofa set etc. complete in all respect. | 1 | Sq. Ft. | 25.72 |
| 115 | VVIP, Bathroom accessories like :- Towel, Napkin, Soap, Mirror, Comb, Tissue paper etc. | 1 | Each | 295 |
| 116 | Barricading with G.I. pipe (50 mm height 1.2 mtr. To 1.5 mtr.) | 1 | Sq. Ft. | 28.32 |
| 117 | Bathroom 7'x7' with W.C. and washbasin (running water). | 1 | Set | 1060.82 |
| 118 | Velevet chair | 1 | Each | 14.16 |
| 119 | Pedastal fan plastic (sound less) | 1 | Each | 55.46 |
| 120 | Tumbler superior quality | 1 | Each | 1.18 |
| 121 | Decorative umbrella with curtain | 1 | Sq. Ft. | 28.32 |
| 122 | Steel cushion chairs with arm | 1 | Each | 11.8 |

| | | | | |
|-----|---|---|---------|-------|
| 123 | Fire Extinguisher 5kg. DCP or, 4.5kg. CO2 type quality and make, ISI approved | 1 | Each | 177 |
| 124 | Washbasin set with angle cock and drain pipe (Running water) | 1 | Each | 413 |
| 125 | Air/room fresheners | 1 | Each | 82.6 |
| 126 | Farm House Tent | 1 | Sq. Ft. | 17.7 |
| 127 | Fiber Gate | 1 | Sq. Ft. | 6.73 |
| 128 | Fountain | 1 | Each | 531 |
| 129 | Tea coaster | 1 | Each | 0.12 |
| 130 | Rack steel | 1 | Each | 33.04 |
| 131 | Mirror with stand | 1 | Each | 64.9 |
| 132 | Water tanker 4000 lt. | 1 | Each | 424.8 |
| 133 | Aluminium Tent Hanger with SRF (Water Proof) | 1 | Sq. Ft. | 49.56 |
| 134 | Aluminium Tent Hanger with SRF and Cloth Ceiling (Water Proof) | 1 | Sq. Ft. | 82.6 |
| 135 | Glass Door setup for Aluminium Tent Hanger | 1 | Nos. | 14160 |
| 136 | Comical Toilet complete in all respect | 1 | Nos. | 11800 |
| 137 | Trash work with cloth work | 1 | Sq. Ft. | 30.68 |
| 138 | Trash work with cloth work (Water Proof) | 1 | Sq. Ft. | 53.1 |
| 139 | Revolving Chair of Leather VIP | 1 | Nos. | 590 |
| 140 | Wooden Sofa single seat VIP (top cushion 10" thick and back pillow 10" thick) | 1 | Nos. | 601.8 |
| 141 | Wooden Platform with ply Hight 1' | 1 | Sq. Ft. | 24.54 |
| 142 | Wooden Platform with ply Hight 4' | 1 | Sq. Ft. | 24.54 |
| 143 | VIP Chair Leather | 1 | Nos. | 247.8 |
| 144 | Artificial Lawn / Grass Mat | 1 | Sq. Ft. | 5.9 |
| 145 | Woven Carpet Iranian | 1 | Sq. Ft. | 11.8 |
| 146 | Cloth Masking | 1 | Sq. Ft. | 14.16 |
| 147 | Cloth Masking with pipe bottom | 1 | Sq. Ft. | 18.05 |
| 148 | Surface Stage double ply | 1 | Sq. Ft. | 82.6 |
| 149 | Queue Manager | 1 | Nos. | 826 |
| 150 | Deepak Stand | 1 | Nos. | 472 |
| 151 | Balloon Decoration Rate Per Balloon | 1 | Nos. | 10.62 |
| 152 | Original Flower Orchids | 1 | Nos. | 118 |
| 153 | Original Flower Tulips | 1 | Nos. | 31.86 |
| 154 | Original Flower Rajanigandha | 1 | Nos. | 31.86 |
| 155 | Original Flower Marigold | 1 | Nos. | 31.86 |
| 156 | Original Flower Gladioli | 1 | Nos. | 31.86 |
| 157 | Original Flower Cherry Blossoms | 1 | Nos. | 31.86 |
| 158 | Original Flower Rose | 1 | Nos. | 31.86 |
| 159 | Original Flower Lilies | 1 | Nos. | 31.86 |
| 160 | Original Flower Mogra or Jasmine | 1 | Nos. | 31.86 |
| 161 | Original Flower Sunflower | 1 | Nos. | 31.86 |

अतः कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 300.00 लाख, बिड स्वीकृति एवं स्वीकृत दरो का अनुमोदन कार्यकारी समिति से करवाने हेतु प्रस्तुत है।




निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 300.00 लाख एवं बिड स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2022/ भाग-14/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या ...19...../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावे अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।



(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/ 2140-2159

दिनांक :: 31 मार्च, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. निजी सचिव, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर/ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको-जोधपुर/बोरानाड़ा
06. उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टॉक रोड, जयपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. आयुक्त, नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) जोधपुर
09. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिशनरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक- अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त-1/2/3/4/5/6/ उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता-I/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20.


(जय नारायण मीणा)
सचिव

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29 मार्च, 2023 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता (सिटी), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
4. श्री शिव नारायण चौधरी, सहायक उपायुक्त पुलिस-पूर्व (यातायात), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
5. श्री सुनिल पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यालय ग्रामीण पुलिस, जोधपुर
6. श्री श्रवण कुमार दाधिच प्रबन्धक (प्रशासन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
7. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
8. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक-अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री सुभाष चन्द शर्मा, निदेशक-आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, निदेशक-वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक-विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्रीमती मृदुला शेखावत, उपायुक्त-1, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री मनोज सोलंकी, उपायुक्त-2, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री रवीन्द्र कुमार, उपायुक्त-3, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त-4, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उपायुक्त-5, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त-6, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000

0